श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2026

क्र. एफ. LAB–8–0003–2025–Sec–1–सोलह (LAB).– मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 जनवरी 2025 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :–

संशोधन

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 में, उपधारा (2) में,–

(एक) शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपये" स्थापित किए जाएं ;

(दो) परन्तुक में, शब्द "एक हजार पांच सौ रूपये" के स्थान पर, शब्द, "दो हजार पांच सौ रूपये" स्थापित किए जाएं.

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. LAB–8–0003–2025–Sec–1–XVI(LAB).– In exercise of the powers conferred by sub–section (9) of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), the State Government, herby, makes the following amendment in the said Adhiniyam, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 10th January, 2025, namely :–

AMENDMENT

In Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), in sub--section (2),–

i - for the words "thirty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted;

ii - in the proviso for the words "one thousand five hundred rupees", the words "two thousand five hundred rupees" shall be substituted.

2. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

रा.प्र.क्र. 0006–अ–82–2025–26–4171.–चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन – निजी खाता

(क) जिला – दमोह

(ख) तहसील – हटा

(ग) नगर/ग्राम – हटाखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल – 200 वर्ग मी.

खसरा क्र.	रकबा (हे.में.)
(1)	(2)
206	200 वर्ग मी.
योग..	200 वर्ग मी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–दमोह जिले के हटा शहर में रेस्ट हाउस के पास दुहिया नाले पर वृहद पुल, पहुंच मार्ग, सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कल्वर्ट कार्य परियोजना के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग सागर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित के अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Scanned with OKEN Scanner